लक्ष्मीदत्त बनाम स्वरूप कँवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा – मु॰नं॰-95/18	
18-12-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व वादी जवाह में अर्जुनलाल, बोदूराम के लिखित शुदा शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल मिसल किये गये। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19-12-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19-12-18	[मुहर:] ...लाय कोर्ट... उप... ...ठासीन अधिकारी ...में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु ...20-12-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20-12-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-12-2018 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी राजस्व अधिकारीयों की मीटिंग में सीकर पधारे हुये है। (हस्ताक्षर)	
21.12.2018	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण न. 5 ता 7 की तामील चस्पान्दगी से होकर लौटी है। जो पर्याप्त है। प्रतिवादी नम्बर 8 की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत	

(बायां हाशिया:) लक्ष्मी दत्त शर्मा; नि॰ अं॰ बोदूराम; नि॰ अं॰ अर्जुनलाल

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	लक्ष्मीदत्त बनाम् स्वरूप कँवर वगै0 **दावा बाबत बंटवारा, ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा** **मुकदमा नं0 95/2018**	
	नहीं आये है। अतः प्रतिवादी नम्बर 5 ता 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने अवगत कराया कि प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तथा साक्ष्य वादी में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जा चुके है।	
	वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित में अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में हम पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा माननीय न्यायालय में दिनांक 05.11.2018 को पेश किया जाकर तस्दीक हो चुका है। हम पक्षकारान् उक्त राजीनामा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।	लक्ष्मीदत्त शर्मा स्वरूप कंवर
	राजीनामा अनुसार प्रकरण में ग्राम परसरामपुरा पटवार मण्डल सरगोठ के भूमि खसरा नम्बर 1660/2 रकबा 1.04 है0 सम्पूर्ण, 1658 रकबा 0.02 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1659/2 रकबा 1.51 हैक्टर में से 1.26 हैक्टर भूमि उत्तरी तरफ की कुल 2.32 हैक्टर भूमि वादी के हक हिस्से बंटवारें में आने एंव इसी अनुसार ग्राम परसरामपुरा पटवार मण्डल सरगोठ के भूमि खसरा नम्बर 1638, 1639, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657/2, 1637 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 1659/2 रकबा 1.51 हैक्टर में से शेष बची 0.25 हैक्टर भूमि दक्षिणी तरफ की कुल 2.32 हैक्टर भूमि प्रतिवादी न. 1 ता 4 के हक हिस्से में बंटवारे में आई है तथा हम पक्षकारान् उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। पक्षकारान् ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	लक्ष्मीदत्त बनाम् स्वरूप कँवर वगै0 दावा बाबत बंटवारा, ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 95/2018

प्रकरण में इसी अनुसार बंटवारें की अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है। वकील वादी व पक्षकारान् ने वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने से एंव वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होने से एंव वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवाये जाने हेतु पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा भी हो चुका है।

प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम परसरामपुरा पटवार मण्डल सरगोठ के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1638, 1639, 1640, 1641, 1653, 1654, 1655 कुल किता 7 कुल रकबा 1.10 हैक्टर एंव भूमि खसरा नम्बर 1657/2, 1659/2, 1660/2, 1872/2 कुल किता 4 कुल रकबा 3.30 हैक्टर की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त कृषि भूमियॉं वादी लक्ष्मीदत्त एंव उसके भाई किशनलाल की पैतृक भूमियॉं थी जिसमें इन दोनों भाईयों ने अपने–अपने 1/2–1/2 हिस्से की भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे तथा प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों को बराबर–बराबर दे दिया था तथा उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग नहीं किया है। इन्होनें मौके पर बाहमी विभाजन कर लिया था तथा

उपखण्ड अधिकारी
...पुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

नम्बर अहकाम हुक्म जारी	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

बाहमी विभाजन अनुसार ही दोनों भाई अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा किशनलाल ने अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमियों का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख बैचान कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 मौके पर बाह्मी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा किशनलाल का उक्त भूमियों में कोई हक हिस्सा नहीं रहा था। बाह्मी विभाजन अनुसार वादी के हक हिस्सें में ग्राम परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1660/2 रकबा 1.04 हैक्टर सम्पूर्ण, 1659/2 रकबा 1.51 हैक्टर में से 1.26 हैक्टर एंव 1658 रकबा 0.02 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टर भूमि आई है एंव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के हक हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 0.03 हैक्टर, 1639 रकबा 0.07 हैक्टर, 1653 रकबा 0.03 हैक्टर, 1654 रकबा 0.34 हैक्टर, 1655 रकबा 0.50 हैक्टर, 1657/2 रकबा 0.61 हैक्टर, 1656 रकबा 0.04 हैक्टर 1659/2 रकबा 0.25 हैक्टर, 1637 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 2.32 हैक्टर भूमि बाह्मी विभाजन में आई है। भूमि खसरा नम्बर 1872/2 रकबा 0.11 हैक्टर वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार पक्षकारान् के नाम दर्ज है तथा उसी अनुसार पक्षकारान् के हक हिस्से में रहेगी। वादी एंव प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से में आई हुई भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा पक्षकारान् के बंटवारे के अनुसार आई भूमियों से एक दूसरे का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

है। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा अनुसार ही वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन पक्षकारान् ने किया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा अनुसार वादपत्र को डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादी द्वारा पेश वादपत्र बरूये राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1660/2 रकबा 1.04 हैक्टर सम्पूर्ण, 1658 रकबा 0.02 हैक्टर सम्पूर्ण, 1659/2 रकबा 1.51 हैक्टर में से रकबा 1.26 हैक्टर उत्तरी तरफ का कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 हैक्टर का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है एंव भूमि खसरा नम्बर 1638 रकबा 0.03 हैक्टर, 1639 रकबा 0.07 हैक्टर, 1653 रकबा 0.03 हैक्टर, 1654 रकबा 0.34 हैक्टर, 1655 रकबा 0.50 हैक्टर, 1657/2 रकबा 0.61 हैक्टर, 1656 रकबा 0.04 हैक्टर 1659/2 रकबा 1.51 हैक्टर में से शेष बची भूमि 0.25 हैक्टर भूमि दक्षिणी तरफ का, 1637 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 2.32 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से वादी व अन्य प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

से हजफ किया जाता है। शेष खसरा नम्बरान् की खातेदारी यथावत रखी जाती है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के हक हिस्से में उक्तानुसार आई भूमियों का विधिक तकास्मा किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त राजीनामा व बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के हक हिस्से में आई भूमियों का मिन बट्टा नम्बर अंकित करते हुए पृथक–पृथक लगान कायम करते हुए नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। राजीनामा दिनांक 05.11.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एंव मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

(ब्रहमलाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner